



समक्ष :न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर

प्रकरण

/आर/II/2019 विविद्य-0525/2019/मुरना/३०४

श्री १२ बिंदु खाँड़ीनाथ
द्वारा आठ १६-५-१९
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्फे हेतु
दिनांक २५-८-१९ नियत।

कमलेश पुत्र मंशाराम मीणा,
निवारी ग्राम काठोदी तहसील
जिला श्योपुर म.प्र.

6 वलक और कट्टा ६-५-१९
कालान अधिकारी ग्राम पालियर

आवेदन

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

अनावेदन

आवेदन न्यायालय अपर आयुक्त महोदय चमबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 25/2014-15/ निगरानी में हुये निर्णय दिनांक 24.09.18 के विरुद्ध अंतर्गत धारा-7 भू-राजस्व संहिता

माननीय न्यायालय,

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा -7 भू-राजस्व संहिता के तहत निम्नांकित प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य :-

यह कि ग्राम मठेपुरा की भूमि सर्वे नम्बर 24/10 रक्का 4 बीघा 14 बिस्वा भूमि धूड़िया पुत्र लालजी जाति कोली के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर सम्बन्ध 2026 से 2029 में अंकित थी। धूड़िया की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उसे वारिस पन्ना पुत्र धूड़िया, धन्नी, वमंगडी पुत्रीया एवं मुग्यारसीबाई बेवा धूड़िया के नामांतरण पंजी कमांक 08/15.03.1970 से फौती नामांतरण हुआ था।

यह कि ग्यारसीबाई बेवा धूड़िया कोली द्वारा दिनांक 17 जून 1986 के उक्त भूमि सर्वे नम्बर 24/10 में से हिरसा 1/2 में से रक्का 10 बिस्वा भूमि कोशल्याबाई पत्नी हरिप्रसाद मित्तल के पक्ष में विक्रय पत्र लिखवाया था और भूमि की रजिस्ट्री की गई थी और कोशल्याबाई द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर विभिन्न राजस्व अभिलेख में नामांतरण पंजी कमांक 07/09.12.97 को नामांतरण स्वीकृत किया गया था।

यह कि राजस्व अभिलेख में नामांतरण होने के पश्चात कोशल्याबाई द्वारा विधिवत उक्त भूमि के डायवर्सन हेतु श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय

कमंश ... 2

3

46
०१ ०६
हाइकोर द अफ्टर १

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 525/2019 / श्योपुर/भू.रा.
कमलेश विरुद्ध म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी इव अभियाचकों के हस्ताक्षर
03-06-2019	<p>उभय पक्ष द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया।</p> <p>2/ आवेदक द्वारा यह विविध आवेदन अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्र. क्र. 25/2014-15/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-09-2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 16-4-2019 को प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>3/ अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति का आवलोकन किया जिरासे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष 18 वर्ष से अधिक विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई थी। अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक की ओर से 18 वर्ष के दीर्घकालिक विलम्ब को क्षमा किये जाने बावत समाधानकारक कारण नहीं दर्शाये जाने के कारण अपर आयुक्त ने निगरानी को समयावधि बाह्य मानकर निरस्त किया है। अपर आयुक्त न्यायालय के अतिरिक्त इस न्यायालय में भी आवेदक द्वारा 18 वर्ष के विलम्ब को क्षमा किये जाने बावत समाधानकारक कारण दर्शाने में असमर्थ रहा। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा इस न्यायालय में धारा 7 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अन्तर्भृत विविध आवेदन प्रस्तुत किया है। संहिता की धारा 7 का प्रयोग इस प्रकरण में किये जाने संबंधी कोई कारण नजर नहीं आते हैं। फलस्वरूप यह विविध आवेदन अग्राह्य किया जाता है।</p> <p>पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">(आर0क० जैन) 16/19 सदस्य</p> 	